(11)

मु०अ०सं० 54/13 धारा- 384, 392, 504, 506, 427 I.P.C. रामराज मु०नगर

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

मूल द्वितीय तृतीय प्रतिलिपि

न्यायालय वादी / कार्यालय के लिए

बुक सं० 0290736

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

पृष्ठ संख्या

दण्ड-संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना रामराज

सर्किल जानसठ

जिला मु०नगर

सं० 21/13

घटना का दिनांक का समय 1.4.13 4 बजे शाम

जबकि रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
5/4/13 21:15	प्रोपर्टी डीलिंग ऑफिस रामराज, दिशा- दक्षिण-पूर्व दूरी लगभग 1.5 K.M.	डाक द्वारा

सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर से होनी चाहिए।

सूचना देने वाले का नाम व निवास-स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
1	2	3	4	5
अवतार सिंह S/. श्री रघुनन्दन सिंह R/o सैफपुर फिरोजपुर (उ.रमराज) थाना बहसूमा (मेरठ)	1. जयभगवान (लेखपाल) S/. अज्ञात 2. नरेश बिश्नोई (लेखपाल) S/. नामालूम 3. राहुल कुमार एडवोकेट तहसील जानसठ पुत्र नामालूम	अभि० गणों द्वारा वादी से 10 हजार रुपये अंगूठी, घडी व कागज लूट लिया व रंगदारी मांगना। जुर्म धारा- 384, 392, 504, 506, 427 भा० I.P.C.	श्रीमान जी तहरीर प्राप्त पर छोटे अभियोग पंजीकृत किया गया नकल (देखे वादी रखी) विवेचक - श्री अजयवीर सिंह	विवेचना होगा

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायगी।

हस्ताक्षर

पद

देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगाना चाहिये।

... पुलिस दि० 26-11-08 ... 000 बुक (कम्प्यूटर ...)

नकल तहरीर हिन्दी वादी — सेवा मे श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना रामराज जिला
मुजफ्फरनगर। श्रीमान जी निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम खेड़ा [illegible] व डाक [illegible]
परगना भूमा सम्भलहेड़ा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर का काश्तकार है तथा इस
ग्राम का पटवारी कुछ समय पूर्व तक जयभगवान था उक्त जयभगवान पटवारी एक
बड़ा भूमाफिया है जिसने अपना गिरोह बनाकर सरकारी जमीनो पर कब्जा करके
तथा विवादित जमीनो को अपने गिरोह के सदस्यो व अपने परिवार के सदस्यो
के नाम अवैध तरीके से चढ़वाकर जमीन कब्जाने का कार्य कर रखा है।
इसके द्वारा करोड़ो रुपये की सम्पत्ति रामराज क्षेत्र मे अर्जित कर
रखी है कुछ दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा उक्त लेखपाल
का स्थानान्तरण किसी अन्य तहसील मे कर दिया गया है किन्तु उक्त लेखपाल
द्वारा रामराज मे एक प्रापर्टी डीलिंग का ऑफिस खोल रखा है तथा
अपने साथ अपनी प्रापर्टी डीलिंग मे राहुल कुमार वकील तहसील जानसठ
को भी शामिल कर रखा है और प्रतिदिन वही रहकर रामराज क्षेत्र के
लोगो को अपनी दबंगई का रौब देकर डराता व धमकाता है उक्त लेखपाल
द्वारा कुछ समय पूर्व मेरी पारिवारिक भूमि पर भी गलत रिपोर्ट
लगाकर मुकदमे बाजी शुरू करा दी है श्रीमान जी मेरे द्वारा उक्त लेखपाल
की गलत कार्यो की एक विस्तृत शिकायत जिलाधिकारी महोदय मु०नगर
को दी जिससे उक्त लेखपाल मुझ प्रार्थी से और अत्यधिक रंजिश
मानने लगा और उसने मुझ प्रार्थी को सबक सिखाने की धमकी दी
तथा कहा कि या तो मुझे 10 लाख रुपये चुपचाप भेज देना अन्यथा
मै तुम्हारी जमीन पर अपने लोगो का कब्जा करा दूंगा और तुम्हारी
फसल भी नष्ट करा दूंगा तथा तुम लोगो पर मै फर्जी मुकदमे पुलिस
करा दूंगा और तुम जैसे लोगो को मै जान से भी मरवा सकता हूँ श्रीमान
जी उक्त लेखपाल की धमकी को मैने गम्भीरता से नही लिया और
उसके द्वारा पहले दिनांक 16.03.2013 को तथा दोबारा दिनांक 30.03.2013
को अपने साथी नरेश बिश्नोई लेखपाल तथा राहुल कुमार वकील तहसील
जानसठ के साथ मिलकर मेरी जमीन को अपने ट्रैक्टर से खुर्द-बुर्द कर
उसमे डोल भी लगा दी श्रीमान जी जब मै दिनांक 01.05.2013 समय
करीब 5 बजे उक्त जमीन को खुर्द बुर्द करने की शिकायत को लेकर रामराज
स्थित उसके प्रापर्टी डीलिंग ऑफिस पर गया तो वहा मौजूद लेखपाल
जयभगवान व लेखपाल नरेश बिश्नोई व राहुल कुमार एडवोकेट
व एक अज्ञात व्यक्ति वहा पर पहले से ही मौजूद थे इन लोगो
ने मुझे देखते ही गन्दी-2 गालिया देनी शुरू कर दी तथा राहुल
कुमार वकील तहसील जानसठ द्वारा अपना लाइसेंसी पिस्टल मेरी
कनपटी पर रखकर आतंकित करते हुये कहा कि जब हमारे द्वारा
तुमसे 10 लाख रुपये की मांग की गयी थी, किन्तु तूने हमे पैसे
नही दिये तो हमने तेरी फसल को नष्ट कर दिया तथा तेरी
जमीन पर हमने अपने लोगो का कब्जा करा दिया है श्रीमान जी
उक्त लोगो द्वारा मेरे बैग को छीन लिया गया तथा उसमे रखे
10 हजार रुपये व कुछ महत्वपूर्ण कागजात व मेरे हाथ की सोने
की अंगूठी व एक घड़ी लूटकर मुझे वहाँ से धक्के देकर भगा
दिया और कहा कि यदि आज के बाद तेरे द्वारा हमारी कही

क्रमशः:- पर थी शिकायत की गयी तो हम तुमसे जान से मार देंगे/ उक्त लोगो द्वारा मेरे साथ लूटपाट की जा रही थी तो वहाँ पर मौजूद कुलदीप सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी खेरी जिला हरिद्वार मौजूद था उसके द्वारा ही मुझे वहाँ पर अत्यधिक घबराहट देख नल से लाकर मुझे पानी पिलाया गया/ अत: श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त लेखपाल जयभगवान व लेखपाल नरेश बिश्नोई व राहुल कुमार एडवोकेट के खिलाफ मेरी जमीन को खुर्द-बुर्द करने व रंगदारी मांगने व मेरे साथ लूटपाट करने व जान से मारने की धमकी देने सम्बन्धित अपराध के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुये मेरी जान व माल की सुरक्षा कराने की कृपा करें/ आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी: अवतार सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी समराज उर्फ सैफपुर फिरोजपुर थाना बहसूमा (मेरठ) हाल निवासी केयर ऑफ रणधीर सिंह मोहल्ला ग्रा० पैगम्बरपुर तहसील बिलासपुर जिला रामपुर (उ० प्र०) मो० न०- 9758726703 ह० अपठित अवतार सिंह।

नोट- मैं HC 452 अम्बुज देशवाल प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द ब शब्द अंकित की गयी है।

HC 452 अम्बुज देशवाल
P.S. समराज मु० नगर
5/4/13